भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4360
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अस्पताल बिस्तरों की कमी

4360. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में देश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर कम से कम दो अस्पताल बिस्तरों की सिफारिश की गई है, जबकि वर्तमान में प्रति 1000 व्यक्तियों पर लगभग 0.6 बिस्तरों की उपलब्धता है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना में इस गंभीर कमी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कोई विशिष्ट जानकारी/मूल्यांकन किया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) विशेषकर ग्रामीण और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में अस्पताल बिस्तरों की इस कमी को दूर करने के लिए क्या ठोस उपाय लागू किए जा रहे हैं, जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रति 1000 जनसंख्या पर 2 बिस्तरों की उपलब्धता की सिफारिश की गई है। तथापि, जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में बिस्तरों की संख्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) में उल्लिखित जनसंख्या मानदंडों द्वारा निर्देशित होती है।
भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस 2022) प्रति 1000 जनसंख्या पर न्यूनतम 1 बिस्तर और वांछनीय रूप से प्रति 1000 पर 2 बिस्तर के प्रावधान की सिफारिश करते हैं। आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार, 20,000 से 30,000 की आबादी को कवर करने के लिए 6 इनडोर/ऑब्जर्वेशन बेड वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), 80,000-1,20,000 की आबादी को कवर करने के लिए 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), 1,00,000-5,00,000 की आबादी को कवर करने के लिए 31-100 बेड वाले उप-जिला अस्पताल और 30,00,000 तक की आबादी को कवर करने के लिए 101-500 बेड वाले जिला अस्पताल स्थापित किए जाने हैं।

भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता (एचडीआई) (अवसंरचना और मानव संसाधन), जिसे पहले ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी के रूप में जाना जाता था, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य परिचर्या प्रशासनिक डाटा पर आधारित इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दिनांक 31.03.2023 तक भारत में पीएचसी, सीएचसी, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में 8,18,661 बिस्तर थे।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे आवश्यकता और निधि उपलब्धता के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करें। तथापि, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएँ प्रदान करने के उनके प्रयासों में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम):** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है।

- **पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम): इस** योजना के केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटकों के अंतर्गत, जिला अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों में 100 और 50 बिस्तरों वाले गहन परिचर्या अस्पताल ब्लॉक (सीसीबी) के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के लिए 395 सीसीबी की स्थापना के लिए 11614.71 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। पीएम-एबीएचआईएम के केंद्रीय क्षेत्र घटक के तहत, 12 एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) में 150 बिस्तरों वाले गहन परिचर्या ब्लॉक स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

- **भारत कोविड-19 आपात अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज II (ईसीआरपी-II):** मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, 08 जुलाई, 2021 को 23,123 करोड़ रुपए की राशि से "भारत कोविड-19 आपात अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज II (ईसीआरपी-II) " योजना भी अनुमोदित की है। कोविड-19 महामारी के दौरान बिस्तरों की उपलब्धता संबंधी समस्या का निराकरण करने के लिए ईसीआरपी-II के तहत, मेडिकल कॉलेजों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित मंजूरी दी गई थी। इसका विवरण निम्नानुसार है:

  - 9,873 पीडियाट्रिक आईसीयू बिस्तर; 7,008 पीडियाट्रिक हाई डिपेंडेंसी यूनिट (एचडीयू) बिस्तर ; मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और उप जिला अस्पतालों में वयस्कों हेतु 20,953 आईसीयू बिस्तर सहित कुल 37,834 आईसीयू बिस्तर।

- मौजूदा सीएचसी, पीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्रों (6-20 बिस्तर वाली इकाइयों) में अतिरिक्त 124,859 बिस्तर ; 19,337 ऑक्सीजन स्पोर्टिड पीडियाट्रिक बिस्तर ; 20,102 बिस्तर वाले फील्ड अस्पताल (50-100 बिस्तर वाली इकाइयां)।
- पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 26 गहन परिचर्या ब्लॉक (सीसीबी) (50 बिस्तर वाले)।

- **15वां वित्त आयोग (एफसी-XV):** पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) में स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिये स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है और इसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए ये अनुदान वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए होंगे और बुनियादी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की सुविधा प्रदान करेंगे।

- **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई):** इसका उद्देश्य किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा संबंधी सुविधाओं को बढ़ाना है। इस योजना के दो घटक अर्थात् (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) की स्थापना; और (ii) मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) का स्तरोन्नयन हैं। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न चरणों में अब तक 22 नए एम्स की स्थापना और जीएमसीआई के स्तरोन्नयन की 75 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

- 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत देश में कुल **157 मेडिकल कॉलेज** अनुमोदित किए गए हैं'।

इन उपायों से देश में पहुँच योग्य और किफायती गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या हेतु बिस्तरों की संख्या सहित समग्र जन-स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार हुआ है।

*****